# परिणाम बजट - 2012-13

## अध्याय - III

### प्रस्तावना

## संस्कृति की भूमिका

संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अकादमियों, सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसी संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों में कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी अनेक स्कीमों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करना है ताकि सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में हमारी मूर्त और अमूर्त दोनों सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता बनी रहे। समकालीन सृजनात्मकता के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम, मंच कला, साहित्य तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यरत तीन राष्ट्रीय अकादमियों और साथ ही प्रोत्साहनों, पुरस्कारों तथा शिक्षावृत्तियों की व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि कला और संस्कृति विधा की अभिव्यक्ति बनी रहे। मंत्रालय द्वारा मूल स्तर पर ही संस्कृति के विकास हेतु अनेक पहल शुरू की गई हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र इस दिशा में न केवल अपने परस्पर मेलजोल के सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करते आ रहे हैं, अपितु ये केन्द्र ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाने में भी सहायता कर रहे हैं जो लोगों की सांस्कृतिक चेतना और मानव संसाधन विकास का संपोषण करते हैं और जो आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए आर्थिक विकास की तीव्र गति के संदर्भ में सांस्कृतिक विकास के पहलु को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह एक मान्य तथ्य है कि संस्कृति, भौतिक पर्यावरण बनाए रखने, पारिवारिक मूल्यों के परिरक्षण, समाज में नागरिक संस्थानों के संरक्षण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति राष्ट्रीय एकता के वाहक के रूप में कार्य करती है। संस्कृति, व्यक्तियों तथा समुदायों को कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज, पहचान तथा उसके प्रयास के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे समाज में सृजनात्मकता बढ़ती है और जिसकी गुणवत्ता से अंततः अन्य विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होते हैं।

देश में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी विकास से देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ने या प्रभावित होने या उसके प्रभाव को कम करने नहीं दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का सदैव यह प्रयास और दृष्टिकोण रहा है कि ऐसे किसी कार्य को हतोत्साहित किया जाए जो देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक ताने–बाने तथा इसके प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हैं। मंत्रालय के कार्यक्रम और कार्यकलापों का उद्देश्य देश की सांस्कृतिक परंपराओं के विकास और उनकी निरंतरता बनाए रखने हेतु कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन करके सकारात्मक दिशा का रास्ता दिखाना है। इस संदर्भ में पूरे राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक नीति विकसित करने की संगतता का और अधिक महत्व हो जाता है।

## नीतिगत पहलों की दिशा में

निर्णय लेने में भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया तथा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों से विचारों और हितों के विभिन्न मतों के एकीकृत रूप को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में तथा सचिव (संस्कृति) के सदस्य सचिव के रूप में एक संस्कृति केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सी ए बी सी) का गठन किया है।

संस्कृति केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की भूमिका इस प्रकार है :–

(क) ऐसे कार्यक्रम विकसित करने के लिए नीतिगत स्तर पर संस्कृति मंत्रालय को सलाह देना, जिनका मुख्य बल भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों पर विविध सृजनात्मकता पर होगा। यह सृजनात्मकता भाषाओं, लिपियों, मौखिक परंपराओं, उच्च कौशल एवं अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के क्षेत्र में होगी।

(ख) मंत्रालय के तहत् प्रत्येक निकाय के कार्यों का समन्वय करना ताकि नीति में और अधिक संशक्तिशीलता आ सके।

(ग) ऐसी सीमा और तरीके की जांच करना जिसमें संबंधित एजेंसियों द्वारा भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) संस्कृति के क्षेत्र में नये, आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों संबंधी जानकारी प्रदान करने में सहायता करना।

इससे पहले केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड की 4 बैठकें आयोजित की गई थीं। केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी के रूप में, दिनांक 4.11.2009 को सम्पन्न हुई। कला तथा संस्कृति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और केन्द्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड के बैठक की चर्चा के प्रमुख मुद्दों के निष्कर्ष इस प्रकार हैंः–

(i) लोगों को संग्रहाध्यक्ष तथा संरक्षक के रूप में भाग लेने के उद्देश्य से मानव–संसाधनों का क्षमता–निर्माण।

(ii) सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रदत्त–जटिलता हेतु सांस्कृतिक कार्यों की देखभाल हेतु ''सांस्कृतिक प्रशासक सेवा'' (सी. ए. एस.) गठित की जानी चाहिए।

(iii) सांस्कृतिक प्रशासन को विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किया जाना चाहिए जैसा कि विश्व के अन्य देशों में हैं।

(iv) संग्रहालय प्रबन्धन के मुद्दों तथा ऐसे ही अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करना, मामलों की जांच करने के लिए श्री राजेश रे, डा. बी. एन. गोस्वामी, श्री राजीव सेठी तथा श्रीमती रूपिका चावला को शामिल करते हुए एक चार–सदस्यीय समूह का सुझाव दिया गया था।

संस्कृति मंत्रालय के सीधे नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय स्तर के 8 सांस्कृतिक संस्थान है और यह 33 स्वायत्त संगठनों तथा अन्य कई हजार सहायता अनुदान संस्थानों के लिए जिम्मेदार है। इन संस्थानों की गहन जांच से पता चला कि कुशल विशेषज्ञों की भर्ती करके सवंर्धित व्यावसायिकीकरण की गुजांइश है, जो उनके महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। रिक्त पदों की भर्ती व पदों के सृजन (जहां नितांत आवश्यक है) के विशेष अभियानों से अन्य स्तरों पर व्यावसायिकीकरण और सुदृढ़ होगा ताकि संरक्षण, जीर्णोद्धार, अभिलेखीय प्रबंधन, अभिलेखों के डिजिटीकरण, परातत्वीय अन्वेषण तथा रिपोर्टों के प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिकता से किए जा सकें। संस्कृति संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर श्री बी.एस.गोस्वामी की अध्यक्षता में लब्धप्रतिष्ठित व्यावसायिकों के साथ समिति गठित की गई ताकि संग्रहालयों के आधुनिकीकरण की वृहत योजना बनाई जा सके और अब इस समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन (व्यवहार्थ चरणों में) सर्वोच्च प्राथमिकता है। गोस्वामी समिति से आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए संग्रहालय प्रबंधकों के समुचित संवर्ग, जिसकी भारतीय संग्रहलयों को इस समय तत्काल आवश्यकता है, के विकास का सुझाव देने का भी अनुरोध किया गया। सीएबीसी की पूर्व संरचना तीन वर्षों के लिए की गयी थी और अब बोर्ड के नये विशलेषकों के परिचय के लिए मंत्रालय द्वारा बोर्ड की पुनरीक्षित संरचना की अवधारणा की जा रही है।

गत दो दशकों में, भारत में शहरीकरण तथा निर्माण कार्यकलापों में अत्यधिक तेजी आई है, जिनसे राष्ट्रीय महत्व के कई स्मारकों को खतरा हो गया है (या वे छुप गए हैं)। चूंकि विनियामक इन आक्रमणों को रोक नहीं पाया अतः सरकार ने कई आमूल चूल परिवर्तन करते हुए, 2010 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम (एएमएएसआरए) में संशोधन कर दिया।

पहली बार अकादमियों की समन्वय समिति गठित की गई है जिससे तीनों अकादमियों में सहक्रियाशीलता पैदा हुई हैं। टैगोर की 150वीं वर्षगांठ का समारोह अगला ऐसा प्रमुख आयोजन रहा है जिसमें अंतर अकादमी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब राष्ट्रीय अकादमियां युवा पीढ़ी और विशेषतः भारत के दूर-दराज के कोने से आने वाले या उनमें रहने वाले कलाकारों में सृजनात्मक प्रतिभा प्रोत्साहित करने के लिए स्कीमों पर समग्र ध्यान दे रही हैं।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अन्तर-मंत्रालय समिति भी गठित की गई जो शिल्पों, हथकरघों तथा पारम्परिक चिकित्सा सहित अपनी बहुरूपी संस्कृति अभिव्यक्तियों में यथा प्रदर्शित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के लिए प्रयासो का समन्वय करेगी।

## सुधार उपाय

मंत्रालय के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने से कला और संस्कृति की परिधि में आने वाले प्रत्येक क्षेत्र के विकास में बाधाएं हैं। संस्कृति मंत्रालय के तहत् अनेक प्रमुख संस्थानों द्वारा तथा विभिन्न स्कीमों के तहत् निर्धारित लक्ष्यों को निधियों की कमी के कारण वास्तविक उपलब्धियों के रूप में पूरा नहीं किया जा सका। यह देखा गया है कि मंत्रालय 11वीं योजना के पहले तीन वर्षों के प्रारंभ में उचित आवंटन प्राप्त करता है। लेकिन दुर्भाग्य से, वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान व्यय की धीमी गति के कारण आवंटन को संशोधित अनुमान के स्तर पर काफी कम कर दिया जाता है। तथापि, मंत्रालय का यह प्रयास रहता है कि इसके पास सीमित संसाधनों से इष्टतम परिणाम/उपलब्धियाँ हासिल की जाएं। संस्कृति मंत्रालय के तहत् संस्थान, जो कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलाप बढ़ाते हैं, इन क्षेत्रों में अत्यधिक ध्यान देते हैं और अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास के मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे के साथ इन संस्थानों का विकास किए जाने को लेकर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 11वीं योजना में परिकल्पित कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पुरातत्व, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, अभिलेखीय पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा मानव विज्ञान और नृजाति-विज्ञान के क्षेत्रों में प्रमुख

संस्थानों के मामलों में विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए विशेषतः योजनागत प्रावधान में वृद्धि को उचित प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा वर्ष, 2010-11 / 2011-12 के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मंचकला और संग्रहालय क्षेत्रों के तहत अधिकांश सहायता अनुदान स्कीमों को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के निर्धारण हेतु कार्यकारी समूह द्वारा गठित कला एवं संस्कृति उप - समूहों की सिफारिशों के आलोक में संशोधित/आशोधित किया गया है। अनवरत योजनागत स्कीमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा कार्य की कवायद से स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्त्यिों के लिए अभिप्रेत कई स्कीमों के दायरे व विषय वस्तु में संशोधन हुआ जिससे वह उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के सम्पोषण के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में काफी सहायक रहीं। इस प्रक्रिया से स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत अनेक स्कीमों के क्षेत्र और विषय-वस्तु में संशोधन हुआ। इन उपायों से निरपवाद रूप से अंतिम परिणामों में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दृष्टि से सुधार होगा। सहायता अनुदानों, खास तौर पर मंच कलाओं व अध्येतावृत्तियों के तहत आने वाली स्कीमों को प्रभावी तरीके से उन स्कीमों के कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत करते हुए लागू करने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान श्री भास्कर घोष, पूर्व संस्कृति सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्माण तथा वेतन अनुदान, अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति तथा सेमिनार स्कीमों जैसी सहायता अनुदान स्कीमों को वर्ष 2009-10/2010-11 के दौरान पहले संशोधित कर दिया गया था।

पद्धतिरूपक विलंब के समय में कटौती करते हुए अनुदानों की निर्मुक्ति में तेजी लाने की दृष्टि से बजटीय आंवटन के तहत निधियों के केंद्रीकृत सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अगस्त, 2008 से समाप्त कर दी गई तब से संबंधित अनुभागों ने अपनी-अपनी स्कीमों/संगठनों से सम्बन्धित निधियों के सर्टिफिकेशन के कार्य को आरंभ कर दिया है। प्रधान लेखा कार्यालय सम्बंधित वेतन एवं लेखा कार्यालयों के जरिये मंत्रालय से सम्बंधित लेखा मामलों के लिए उत्तरदायी है जो भुगतान कार्यों, बजट की निगरानी और सभी लेन-देन के खातों का संकलन का कार्य कर रहे हैं। सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक संमाशोधन सेवा (ईसीएस) इनके व्यय का नियंत्रण, मंत्रालय के कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखे, विनियोग लेखों की तैयारी आदि जैसे कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की शुरूआत के साथ ये प्रणाली वेतन एवं लेखा कार्यालयों के अनेक कार्यों में गति और शुद्धता प्राप्त करने में और लेखा प्रक्रिया के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता को भी बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

## सार्वजनिक/निजी भागीदारी

संस्कृति मंत्रालय ने देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण एवं परिरक्षण के क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में, भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय

द्वारा सार्वजनिक निजी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गई। निधि, भारत की मूर्त एवं अमूर्त विरासत के परिरक्षण और संरक्षण के लिए भागीदारी और सहयोग आमंत्रित करती है। इसकी स्थापना भारत की संस्कृति निधियन के नवोन्मेषशाली पैटर्न को शुरू करने के लिए की गई। निधि, सरकार को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण हेतु सरकार, गैर–सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से बजटेतर संसाधन जुटाने में सहायता करती है। एन सी एफ अनेक विरासत स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अनेक प्रमुख कार्पोरेट घरानों, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यासों तथा वित्तपोषक एजेंसियों से जुड़ी है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ) का प्राथमिक उद्देश्य विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) की स्थापना और पोषण करना है। इस क्षेत्र को देश के समग्र विकास में इसकी भूमिका को साकार करने और उनके कार्पो रेट सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में विरासत के दावे में एन.सी.एफ के उत्तरदायित्व को संवेदनशील करना है। मूर्त और अमूर्त विरासत के क्षेत्र में 28 से अधिक चल रही परियोजनाएं एनसीएफ के अधीन है।

**रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एनसीएफ परियोजना के निजी क्षेत्र निधि दाताओं के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को पुनः सक्रिय किया गया है :–**

- मेसर्स एपीजे सुरेन्द्र पार्क होटल – जन्तर मंतर, नई दिल्ली
- विश्व स्मारक निधि – जैसलमेर किला, जैसलमेर
- हम्पी प्रतिष्ठान – कृष्ण मंदिर, हम्पी
- नौरस न्यास – इब्राहिम रौजा उद्यान, बीजापुर

**परियोजना कार्यान्वयन समिति की अनेक बैठकों और उचित प्रबंधन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भागीदारी में अनेक परियोजनाएं पुनः सक्रिय की गयी –**

- इंडियन ऑयल फाउंडेशन – स्मारक समूह
- मैसर्स स्टील ॲथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड – लोधी गार्डन, नई दिल्ली
- बोकारो स्टील प्लांट – लौरिया नंदनगढ़

- मैसर्स एसटीसी – गोल गुम्बज, बीजापुर
- मैसर्स पीईसी – यूसुफ क़तल का मकबरा, नई दिल्ली को संरक्षण के लिए नए स्थल के रूप में चन्हित किया गया था। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन संबंधी परिशिष्ट तैयार की गई थी, संरक्षण कार्य अब शुरू हो चुका है।
- मैसर्स गेल इंडिया लिमिडेट – तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली की जगह संरक्षण और बहाली के लिए नए स्थल के रूप में चिनिहित किया जा रहा है, इसके लिए समझौता ज्ञापन संबंधी एक परिशिष्ट तैयार की जा रही है।
- मैसर्स ओएनजीसी – अहोम स्मारक, असम

**वर्ष 2011-12 में पूर्ण हुई परियोजनाएं**

1. संस्कृत नाटक मंचन के लिए वित्तीय सहायता।
2. किशोरी अमोनकर पर फिल्म।
3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि प्रकाशन।

**नई परियोजनाएं –**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में इस वर्ष 9 से अधिक परियोजनाएं शुरू की और तेरह से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में एनसीएफ परिषद में महसूस किया कि प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं के समय विशेष विरासत सम्पत्तियों के लिए तत्काल प्रतिक्रिया हेतु एक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। सचिव (संस्कृति) ने विरासत परियोजनाओं के लिए एनसीएफ कार्यकलापों के विषय में जागरूकता फैलाने और नये प्रायोजक आकर्षित करने के लिए औद्योगिक और व्यापारिक घराना समूहों के सहयोग से एनसीएफ का विचार शुरू किया। कुछ महानगरों में रोड शो शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

एन. सी. एफ. को आरंभिक बल संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 19.50 करोड़ रूपये के कॉरपस अंशदान से प्राप्त हुआ था। एन. सी. एफ. के कॉरपस फंड को 19.50 करोड़ रूपये से पर्याप्त स्तर तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

## <u>सामाजिक एवं महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया</u>

संस्कृति मंत्रालय अपने कार्यक्रमों में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने पर पर्याप्त बल देता रहा है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए तथा शुरू किए गए और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा अपने-अपने कार्यकलापों के माध्यम से चलाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रमों में निजी

कलाकारों, कलाकार समुदायों, स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा व्यापक स्तर पर लोगों को शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड सी सी) द्वारा तैयार किए गए तथा अपनाए कार्यकलापों में संबंधित क्षेत्रों में उन कलाओं के विकास को शामिल किया जाता है जिनके लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई और इन केन्द्रों के कार्यकलापों में स्थानीय कलाकारों/निष्पादकों तथा संबंधित क्षेत्र के लोगों को उचित महत्व दिया गया है। अकादमियों जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित अकादमी के मामले में आम लोगों की भागीदारी को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों, विशेषतः राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों सहित पुस्तकालयों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करता है वह आम लोगों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को अपनी सेवाएं देता है। शैक्षिक एवं आउटरीच कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों और जनता के लाभार्थ विभिन्न संग्रहालयों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियाँ भी इस संदर्भ में विशेष उल्लेख के पात्र हैं। पूर्वोत्तर महोत्सव, मानतः 'आक्टेव' हैदराबाद में मार्च, 2007 में और तिरूवनंतपुरम में फरवरी, 2008 में आयोजित किए गए थे। वर्ष 2008-09 के दौरान, गोवा, मुम्बई तथा पटना में नवम्बर-दिसम्बर, 2008 में पूर्वोत्तर उत्सव मनाया गया। अगले वर्ष 2009-10 / 2011 के दौरान 7-11 नवम्बर, 2009 को सूरत में और मार्च, 2011 में सोलन (हिमाचल प्रदेश) के पूर्वोत्तर के ''आक्टेव'' उत्सव संगीत अकादमी के सहयोग से उत्तर-पूर्वी राज्यों की महिला कलाकारों सहित सैंकड़ों कलाकारों/मंच-कलाकारों की भागीदारी से आयोजित उत्सव का भी विशेष उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तीकरण के मामले में संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों विशेषतः क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों; संगीत नाटक अकादमी; साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय; सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के अधिकांश कार्यक्रमों/स्कीमों में एक मोटे अनुमान से इनके कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, मानव विज्ञान संबंधी संस्थानों जैसे क्षेत्रों संबंधी कार्यकलापों कार्यक्रमों के तहत महिलाओं की भागीदारी काफी होगी। चूँकि सामान्य रूप से संस्कृति मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकांश कार्यकलाप/कार्यक्रम मुख्यतः कला और संस्कृति के विकास के प्रति समर्पित हैं, अतः संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रलेखन, प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी काफी प्रशंसनीय हो सकती है। तथापि, यह मंत्रालय विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं (नृत्य, नाटक और रंगमंच कलाकारों की टुकडी) के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लाभ हेतु बजटीय आबंटन का 30 प्रतिशत निर्दिष्ट करता रहा है।

## अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) एवं जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एससीएसपी तथा टीएसपी संबंधी विशेष कार्यबल की 27.10.2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि संशोधित मानदण्ड के अनुसार संस्कृति मंत्रालय सहित कतिपय मंत्रालय/विभागों का एससीएसपी के तहत योजनागत निधियां उद्दिष्ट करने का कोई दायित्व नहीं है। जहां तक टीएसपी का संबंध है, मंत्रालय, इसके कतिपय चुनिंदा संगठनों/स्कीमों के तहत वर्ष 2011-12 में अपने योजनागत आबंटन में से 2 प्रतिशत उद्दिष्ट करेगा।

संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार हेतु अनेक सहायता अनुदान स्कीमें चलाता है जिसके तहत व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका उपयोग किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष प्रमुख समाचार पत्रों में विभिन्न सहायता स्कीमों के तहत आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन दिए जाते हैं। मंत्रालय ने ''समर्थन'' भी प्रकाशित किया है जिसमें आम जनता के लाभार्थ मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सहायता अनुदान स्कीमों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विशेषतः इन अनुदानों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों की सूचना और प्रयोग हेतु है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वर्ष 2010-11 के दौरान संस्कृति मंत्रालय में सूचना मांगने के संबंध में 288 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से अधिकांश को निपटा दिया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिसम्बर, 2011 तक) मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर सूचना मांगने से सम्बन्धित 150 आवेदन प्राप्त हुए और तकरीबन सभी मामलों को निपटा दिया गया था।

लोकहित के सभी मामले जैसे मंत्रालय की स्कीमों, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुदान सहायता संबंधी स्कीमों की सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नाम तथा बजटीय व्यय/बजटीय प्रावधानों आदि से संबंधित आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट **www.indiaculture.gov.in** पर डाली गई हैं तथा इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।